सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F.No NCST/SER-1272/DL/62/2024-SSW Dated: 03.12.2024

To,

Shri Ashwani Kumar
Commissioner
Municipal Corporation of Delhi
Minto Rd, New Delhi-110002
Tel No. - 23225901, Email:- commissioner@mcd.nic.in

Sub:- Non issuance of " No dues Certificate' in favor of Ex ST employee of MCD - a representation dated Nil of Shri R. S. Meena, Additional Commissioner (Rtd.) North Delhi Municipal Corporation, Delhi.

महोदया,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of the sitting held on 18.11.2024 at 12:40 PM under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi 110003 on the above mentioned subject.

It is requested that the action taken/ to be taken in the matter may be intimated to NCST within stipulated time from receipt of the letter for placing it before the Commission.

Yours faithfully,

(एच.आर.मीना /H.R Meena)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Tel:- 24641640

Copy for information:-

1. Shri R.S. Meena,
   12/17 Ground Floor,
   Shakti Nagar, Delhi
   (Mobile No:9717791190)
2. PS to Hon'ble Member (AL), NCST
3. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

माननीय सदस्य महोदया, डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2024 दोपहर 12:40 बजे, श्री आर.एस.मीना, अपर आयुक्त (सेवानिवृत्त) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को दिल्ली नगर निगम द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) न देने तथा पेंशन की पूर्ण राशि भुगतान न करने के संबंध में बैठक के कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 18.11.2024, दोपहर 12:40 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक
File: NCST/SER-1272/DL/62/2024-SSW

श्री आर.एस.मीना, अपर आयुक्त (सेवानिवृत्त) उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम (MCD) "अदेयता प्रमाण पत्र" (No Dues Certificate) जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने यह बताया कि घर खाली करने के संबंध में अधिकारियों से पहले और सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुरोध किया है। दिनांक 31.12.2019 तक उनके वेतन से सभी बकाया राशि काट ली गई थी। अब विभाग ने उनके पक्ष में 'अदेयता प्रमाण पत्र' पर विचार करने के लिए 03.04.2021 तक क्षति शुल्क के रूप में 76,500 प्रति माह, बकाया राशि के रूप में 5,83,610/- रुपये जमा करने को कहा है। MCD द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति के लाभ को ब्याज सहित भुगतान कराने हेतु भी निवेदन किया।

2. NCST ने समसंख्यक नोटिस दिनांक 26.04.2024 द्वारा आयुक्त, MCD, नई दिल्ली को 30 दिनों के अंदर तथ्य तथा आख्या प्रेषित करने का आग्रह किया। MCD ने पत्र संख्या ADC/L&E/MCD/2023/D-850 दिनांक 18.07.2024 के माध्यम से, आवेदक द्वारा उठाए गए मुद्दे पर तथ्य और टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं और बताया कि आवेदक ने और भी कई विभिन्न अधिकारियों के सामने विभिन्न अभ्यावेदन दायर किए हैं। MCD ने आगे बताया कि दिनांक 03.04.2021 तक नगर निगम आवास में उनके ओवर-स्टे के लिए, रुपये 5,83,610 के भुगतान हेतु उनको Demand Letter भेजा जा चुका है।

3. MCD के इस पत्र को आवेदक को सूचनार्थ उपलब्ध कराया गया, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर एस मीना ने अपने पत्र दिनांक 13.08.2024 के माध्यम से MCD द्वारा उपलब्ध कराये गए तथ्यों और टिप्पणियों का खंडन किया और न्याय की गुहार लगाई। उन्होनें बताया कि वह एक सेवानिवृत्त अधिकारी, जो ST वर्ग से हैं। दूसरी तरफ, MCD ने इसी भांति के अन्य प्रकरणों में संबन्धित व्यक्ति को ओवर-स्टे के लिए भुगतान की जाने वाली राशि की वसूली नहीं की है, अतः, MCD द्वारा आवास में ओवरस्टे के लिए बकाया भुगतान राशि से छूट देनी चाहिए।

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. आयोग ने प्रकरण में दिनांक 18.11.2024 को आयुक्त, दिल्ली नगर निगम और आवेदक के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया जिसकी सूचना आयोग के Sitting Notice दिनांक 11.11.2024 द्वारा आयुक्त, दिल्ली नगर निगम और आवेदक को दी गयी। आयुक्त, दिल्ली नगर निगम ने अपने पत्र संख्या D-658/COM/MCD/2024 दिनांक 14.11.2024 द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी तथा बताया की अतिरिक्त उपायुक्त (L&E) Sitting में उपस्थित होंगे।

5. बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त (L&E) एवं आवेदक उपस्थित हुए। श्री मीना ने बताया कि MCD द्वारा मामले में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने अन्य मामलों का हवाला दिया, जहां सेवानिवृत्त अधिकारी को काफी समय तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी गई थी और भुगतान राशि वसूल नहीं की गयी है। उन्होंने यह भी बताया की कटौती की राशि रुपये 5,83,610 बताई गयी है और दूसरी जगह रुपये 5,62,663 बताए गए हैं, अतः इसकी पुनर्गणना की जानी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि उनकी पेंशन का DA अनुपात जो लगभग 17 लाख हो गया है, का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त (L&E) ने नगर निगम द्वारा दिये गए तथ्यों को दोहराया और कहा कि ओवर-स्टे की वजह से आवेदक के पेंशन से कटौती प्रस्तावित है एवं आयोग को आश्वासन दिया कि पेंशन का लंबित बकाया राशि का तीन सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा।

6. आयोग ने पाया की दिल्ली नगर निगम द्वारा ST कर्मचारी के साथ ओवर-स्टे के लिए भेदभावपूर्ण कार्यवाई की जा रही है जबकि दूसरे अधिकारी के साथ ऐसा नहीं किया गया, जैसा की आवेदक ने अपने आवेदन में अधिकारी का उल्लेख किया था (उस संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी के आदेश में आवास की सुविधा प्रदान नहीं की गयी थी)।

7. प्रकरण मे चर्चा के बाद, आयोग निम्नलिखित संस्तुतियाँ की व सुझाव दिया की तीन सप्ताह के अंदर की गयी/की जाने वाली कार्यवाई रिपोर्ट आयोग को भेजने का कष्ट करें। इसके उपरांत आयोग आगे की कार्रवाई करने हेतु विचार करेगा–

1. आवेदक के ओवरस्टे के लिए भुगतान के रूप में दिल्ली नगर निगम द्वारा वसूल की जाने वाली राशि पर, उन अन्य अधिकारियों के समान आधार पर विचार किया जाना चाहिये, जिनके नाम Sitting के दौरान आवेदक द्वारा उल्लेख किया गया था, और भुगतान की राशि को माफ़ करने हेतु निर्णय करें।
2. आवेदक को सेवानिवृत्ति के लाभ महंगाई भत्ते सहित, सभी सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाई सुनिश्चित करें।

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. NCST/SER-1272/DL/62/2024-SSW

List of participants of the sitting held on 18.11.2024 at 12:40 (Noon) under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, NCST regarding in the case of shri R. S. Meena regarding non issuance of " No dues Certificate'" in favor of EX ST employee of MCD.

Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Shri Surat Singh Director		
2.	Sh R. S. Misra Consultant		
3.	Shri Akash Tripathy Sr. Investigator		
4.	Shri Neelmani Thakur Consultant (Legal)		
II	MCD		
Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
1.	Hemant Kr Faujdar	702, Civic Centre [illegible]	[signature]
2.			
3.			
4.			
III	Petitioner		
	R.S.MEENA	12/17 G.F. SHAKTI NAGAR DELHI- 9717791180	[signature]